

राजस्थान-सरकार

-:: न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठारीन अधिकारी, अंकित कुमार सिंह, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-14 / 2026
जी.सी.एम.एस. :-2026 / 14

दायर दिनांक :-10.03.2026
फैसल दिनांक :-30.03.2026

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

-अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रूपसी पिता हलीया,
श्रीमति हुकली पत्नि श्री रूपसी,
मिवासीयान-गडा मालजी ग्राम पंचायत खेमारू तहसील व जिला डूंगरपुर

-विपक्षीगण


1. भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर - अपीलान्ट
2. श्री जितेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, विपक्षीगण

प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम
14 (4) के तहत

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौझा खेमारू के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :-राजस्व/भू.अ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी को आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा किया गया है। विपक्षी आवंटि द्वारा आवंटन नियम 14 (3) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से उक्त आदेश द्वारा आवंटित की गई भूमि को निरस्त करने हेतु प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता कि ओर से अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया विपक्षीगण को जब से भूमि का आवंटन किया गया है तब से उक्त भूमि पर प्रतिवादी/विपक्षीगण कब्जा काशत करते आ रहे है। विपक्षीगण ने नियमानुसार मौके पर कब्जा भी कर रखा है तथा उस पर नियमित रूप से काशत भी करते आ रहे है। विपक्षी ने आवंटन नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है वर्तमान में उक्त जमीन पर कब्जा काशत होकर उक्त जमीन पर विपक्षीगण के रहने हेतु निर्माण कार्य भी कर रखा है। विपक्षीगण को जब से उक्त भूमि का आवंटन किया गया है तब से उक्त जमीन पर कब्जा काशत थे। उसी रिकार्ड व पटवारी/गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर जमीन का आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन की गई जमीन को निरस्त करवाने हेतु पूर्व में कोई लिगल नोटिस भी नहीं दिया गया, ना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया गया है। विपक्षी को उक्त भूमि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आवंटन की गई है, किन्तु सम्बन्धित ग्राम के पटवारी व गिरदावर ने उक्त जमीन आवंटन करवाने के बाद 10000/- दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिस पर खेमारू गांव के पूर्व सरपंच रूपसी ने माननीय महोदय को लिखित शिकायत भी की थी जिस पर आप द्वारा पटवारी का स्थानान्तरण भी करवा दिया गया था। जिसकी प्रति संलग्न है। अतः प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने निवेदन किया।


जिला कलक्टर
डूंगरपुर


उभयपक्षों की बहस समाप्त की गई। विपक्षीगण के ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की विपक्षीगण को जब से उक्त भूमि का आवंटन किया गया है तब से उक्त जमीन पर कब्जा काशत थे। विपक्षीगण को उक्त भूमि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आवंटन की गई है, किन्तु सम्बन्धित ग्राम के पटवारी व गिरदावर ने उक्त जमीन आवंटन करवाने के बाद रिश्त की मांग की थी। निःशुल्क भूमि का आवंटन के पश्चात् रिश्त की राशी प्राप्त न होने पर सम्बन्धित कर्मचारी ने पडयंत्र रचकर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थी राजकीय पेशेकार द्वारा अपने कथन में विपक्षीगण को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी द्वारा आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा किया गया है। विपक्षी आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाने से विपक्षीगण को आवंटित की गई भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौझा गडा मालजी के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :-राजस्व/भू.अ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा विपक्षीगण को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा उपरोक्त आवंटित आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटनी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटनी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की हैं। अतः आवंटन नियमों के उल्लंघन साबित होने से आवंटन खारिज योग्य है।

अतः उपलब्ध अभिलेख एवं प्रतिवेदन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 अपील स्वीकार की जाकर मौझा गडा मालजी के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक-राजस्व/भू.अ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा विपक्षीगण को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डूंगरपुर आवंटित भूमि को विलानाम सरकार दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।


(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

